Environmental Protection and Social Work Profession

(Proceeding With Full Paper)

Editors

Dr Bijendr Pradhan
Dr Pushpa Mishra
Mr Ankit Sharma
Dr Vikas Sharma

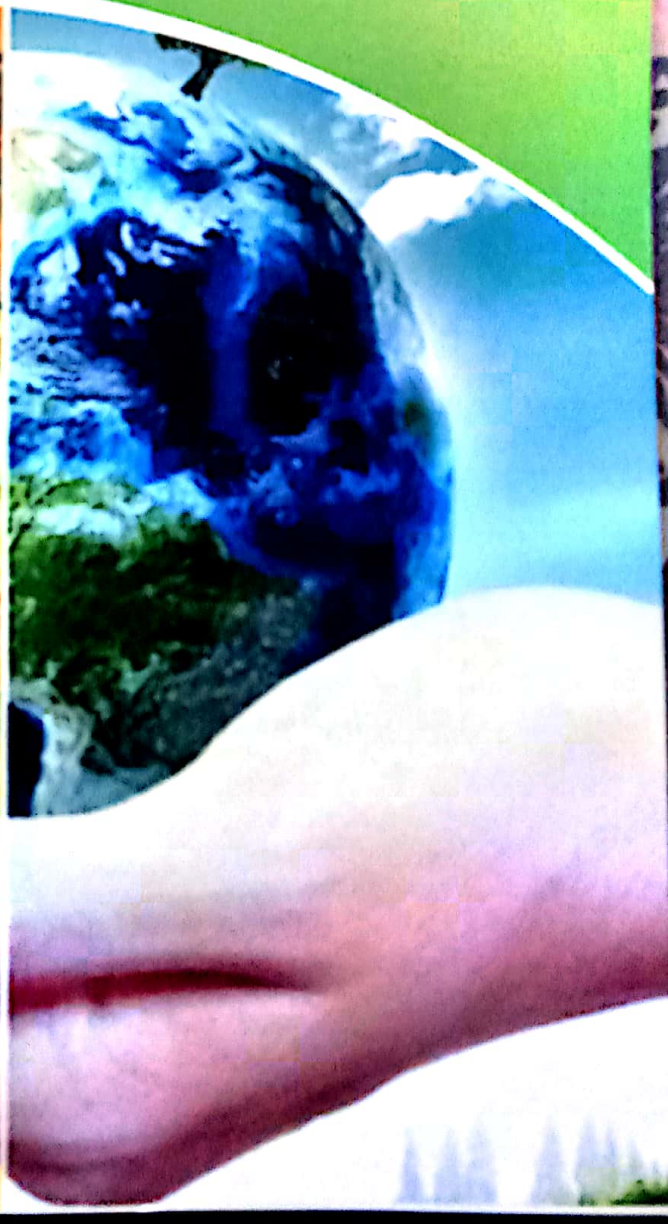

Scanned by CamScanner

Environmental Protection and Social Work Profession

[Edited Book]

ISBN: 978-93-83634-45-3

© Editing Teem -2019

Editors: Dr. Bijendr Pradhan, Dr. Pushpa Mishra

Mr. Ankit Sharma, Dr. Vikas Sharma

Co-editors: Mr. Ranjit Kumar Jaiswal Mr. Indra Ram Poonia

First Edition: March, 2019

Price: 350/-

Published by: Department of Social Work
Jain Vishva Bharati Institute,
Ladnun-341306 (Rajasthan)

Printed by:

No part of this book may be reproduced or transmitted any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publishers.

Cover Page Photo Credits:
https://www.instagram.com/p/BtTV1koHYVX/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1svv9176cp9a

Scanned by CamScanner

Table of Contents

Sl. No.	Title	Name	Page No.
1.	Key-Note Address Environmental Protection and Social Work	Prof. R.B.S.Verma	15-23
2.	Environment Protection for Sustainable Development of Communities	Prof. A.N. Singh Dr.Geetanjali Srivastava	24-33
3.	Education Of Slum Children- Necessary Approach For Sustainable Societal Development	Dr. Pushpa Mishra Mr. Jagpal Singh	34-46
4.	Environmental Degradation and Social Work Competencies	Dr. Bijendr Pradhan Shashi Kant Srivastava	47-50
5.	Environmental Conservation Through CSR– Case Study of CSR Initiatives of a Public Sector Undertaking	Dr. Ashvini Singh	51-57
6.	Impact of Plastic on Environment and its Abatement using Social WorkProfession	Mr. Ankit Sharma Ms. Silvia Parasher	58-67
7.	Role of Government and Non-Government Organization in the Environment Protection and in the Development of the Rural India.	Dr. Amit Singh Rathore Dr.Chetan Sharma	68-76
8.	Social Work Profession's and Practice with Environmental Issues	Dr. Veena Dwivedi	77-83
9.	Environment and Sustainable Development	Dr. Manish Bhatnagar	84-87
10.	Volunteerism and role of Education for Environment Protection	Dr. Bhabagrahi Pradhan	88-91
11.	Environment Versus Sustainable Development	Sweety Verma Dr. Rajeev Verma	92-102
12.	Islamization: Concepts of Environmental Protection and Social Work	Saranyu Mhadsri	103-109
13.	Environmental Protection in Drought Affected Areas of Rural Rajasthan: A Community Engagement Perspectives	Dandub Palzor Negi Dr. Rajeev MM Abdul Azeez EP	110-116
14.	Environmental Education: The Upsurging Need for Mankind	Pravendra Singh Birla Pratishtha Kulshreshtha	117-124
15.	Role of Jal Saheli and Pani Panchayat for Rural Development of Bundelkhand : A Case Study of Parmarth	Dr. Muhammad Nayim	125-128

Scanned by CamScanner

16.	Impact of ngo's in Environmental Protection	Jaseemul Farhan KP Hamid Mahswoom K Noorjahan CJ	129-134
17.	Migration Induced by Climate Change: Policies and Actions.	Kasib Ali	135-140
18.	Climate Change : A Global Threat and The Role of Social Worker	Dr. A. K. Bhartiya Samra Anwer	141-149.
19.	Exploring Innovations in Policy for Agriculture Bioinformatics and Cultivation of Scientific and Sustainable Skills in India	Diwakar Kumar	150-155
20.	Monoculture and polyculture impacts on biodiversity	Jiya Choudhary	156-162
21.	Environment protection & role of social workers	Gaurav Dixit	163-170
22.	Psychiatric Problems Of Elderly	Ambrish Kumar Rai	171-176
	हिन्दी खण्ड		
23.	भगवान महावीर का पर्यावरण दर्शन	डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा	191-194
24.	प्रदूषण : एक गम्भीर समस्या	कु. अपराजिता, छात्रा	195-198
25.	वन संरक्षण में जनजातीय समुदाय की सहभागिता	डॉ बिजेन्द्र प्रधान कृष्ण कुमार तिवारी	199-204
26.	पर्यावरण संरक्षण में समाज कार्य की पद्धतियों का प्रयोग	डॉ. लालाराम जाट	205-210
27.	ई–अपशिष्ट–एक पर्यावरणीय समस्या एवम उसका प्रबन्धन।	डॉ. विकास शर्मा	211-214
28.	पर्यावरण संरक्षण एवं वैश्विक राजनीति	डॉ. जुगल किशोर दाधीच	215-220
29.	पर्यावरण संरक्षण और जन चेतना	डॉ. रविन्द्र सिंह राठौड़	221-226
30.	पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण शिक्षा एवं समाजकार्य कर्ता की भूमिका	डॉ. आभा सिंह	227-230
31.	पर्यावरण संरक्षण और अहिंसा	डॉ. हेमलता जोशी	231-234
32.	जैनदर्शन और पर्यावरण–संरक्षण:एक अध्ययन	डॉ. सत्यनारायण भारद्वाज	235-238

Scanned by CamScanner

Environmental Degradation and Social Work Competencies

Dr. Bijendr Pradhan
Head,
Department of Social Work
Jain Vishva Bharati Institute

Shashi Kant Srivastava
Research Scholar
Department of Social Work
Jain Vishva Bharati Institute

Introduction

India has been facing with the challenges of environmental degradation through consumption of natural assets-air, water and soil, eradication of wild life, heavy deforestation, pollution affecting human well-being. There is a need to plan and implement policies for sustainable development in India since the relationship between physical environment and the well-being of individuals and societies is multi-fold and multi-faceted with qualitative and quantitative factors. The sustainable administration of the earth and natural resources is essential for financial development and human prosperity. At the point when overseen well, inexhaustible characteristic assets, watersheds, profitable scenes and seascapes can give the establishment to supported comprehensive development, sustenance security and poverty reduction. What is and what should be the relationship between man and nature? These questions play a very pivotal role in today's ecological references. Do we want the development and progress at the cost of destruction of the natural environment or we want the preservation of natural environment at the cost of underdevelopment? Often the terms nature, environment and ecology are understood to be same but actually each term has its different meaning e.g. environment refers to everything around that may affect our behavior and perception, nature is what existed before human came into existence and ecology is concerned with interactions or interrelationship between living organisms and their environment. Environmental ethics also consider that every destruction of the natural resources as un-ethical.

Environmental degradation aggravates the already vulnerable stance of communities that are losing adaptation resources, and it deprives them of the opportunity to survive, thus driving them out of the affected areas.

Social Issues and Environment

The management of environment and sustainable development are the basis of our existence. The issue of environment and development has led to the concept of sustainable development which says: "the kind of development that meets the needs of present keeping in view that the coming generation is not deprived of it". In fact, the concept of sustainable development calls for new resource consumption strategies as per following:

1. More Use of renewable sources such as solar energy and tidal energy as compared to non-renewable sources e.g. oil and coal wherever possible.
2. Conservation or reduction in the excessive use resources.
3. Recycling and re-use of material wherever possible.

Scanned by CamScanner

Policy changes in Environmental Issues

There exists a need to formulate some policy changes to attain sustainable development goals- few of these are:

1. Usually the process of economic growth depends upon the availability of renewable and non-renewable resources but this is not true e.g. income from mining derives from the extraction of produce and timber and the cost of land reclamation is not taken into consideration.
2. Stabilized Population at par with productivity of ecosystem.
3. The earth's natural resources must be conserved. This can be achieved by restricting the use of oil and coal and opting nee technologies for generation of energy i.e. solar and wind energy and recycling of wastes.
4. Technology requires must be made less risky, cleaner, energy efficient and eco-friendly.
5. The scarcity of safe drinking water is a challenge. It is necessary to conserve water by treatment of sewage water, water as industrial waste, rain water harvesting and economical use of water.
6. To meet the needs of industrialization and ever-growing development process, there is a need to make a large number of dams, mines and expressways for which a huge number of people are dislodged and evacuated from their original homes especially tribal people. It is the responsibility of the nation state find ways to restore their livelihood and shelter.
7. Environmental degradation is mostly caused by irrational consumption of naturally available resources especially by the people living in economically advanced states.
8. The earth's resources are being severely exploited which billions of animal species use for their survival. This has led to extinction of many animal and plant species; therefore, there is strong need of ethical basis for the rights of animals and plants to exist. All forms of life- humans, plants and animals- must be fairly treated.
9. Since the last century, human activities, mainly burning of fossil fuel and heat emitting machines, have raised the atmospheric concentration of greenhouse gases. There is general expectation that the earth's climate may be significantly modified in the next 50 years. This would, in turn, alter the earth's delicate ecological balance. A strong policy matter is required to be planned and implemented.

With the progress of civilization, humans began altering the natural environment to meet their own needs. This has resulted in slow depletion of natural resources and degradation of environment. Also, increase in human population industrialization, urbanization and numerous development projects have added the problem which is compounded by the pollution of the air, water and land.

Social Work Interventions

Social Work is a field not only of direct practitioners but also of leaders, change agents, activists and community builders. Consequently, social workers are well positioned to advance environmental justice because of their expertise in collaboration, networking, advocacy, community development and capacity building. During their field work training, the social workers who chose the discipline, have larger exposure to the environmental issues- sustainability, social and environmental justice and are trained to meet the needs.

Scanned by CamScanner

Social Work competency includes improving the social environment and well-being of people by facilitating and developing resources. Hence, environmental social work being an approach to social work practice that is founded on the principles of ecological justice has become the need of the hour.

Environmental degradation is not a powerful push factor by itself. It becomes such because of inadequate management of natural resources and poor administration observed in the agricultural sector as a whole. Therefore, the key tasks are the need to improve sustainable management of natural resources, sustainable agricultural development and promotion of agrarian reform, capacity building, expansion of authority and responsibility of local communities in rural areas, promotion of gender development, capacity building of agencies providing assistance in emergency situations of natural character, improving migration management, as well as counselling and awareness-raising activities.

Roles of Social Worker in the Environmental Development and Improvement

The social workers can play a key role in the fight for environmental justice, helping to prevent and address the consequences of climate change through education, advocacy, community organizing, and research.

There are several other roles a social worker can play in terms of environment protection and development- a communicator, animator, guide, innovator, advocate, counsellor, model motivator, facilitator etc.

A social worker enables people to be better prepared and empowered with information by organizing street plays, audio-video shows, role play and skits, group meeting, individual contacts, group discussion, public meetings etc.

A social worker provides information necessary for decision making especially in case of natural calamities and guide the ways for coping with problems situation, assist the community in practicing new behavioral patterns and skills.

A social worker, instead of doing anything on his own, guides the people in the process of environment development and shows different routines while dealing with the social problems related to environment.

In the nutshell, it is believed that India has made one of the fastest progresses in the world, in addressing its environmental issues and improving its environmental quality. Ms. Sunita Narain in her book 'Why I Should be Tolerant' (ISBN:978-81-86906-94-1) writes "Sustainable development needs to be understood as a function of deepened democracy. It is not about the technology, but about a political framework, which will devolve power and give people- the victims of environmental degradation- rights over the natural resources. The involvement of local communities in environmental management is a prerequisite for sustainable development". Still, India has a long way to go to reach environmental quality similar to those enjoyed in the developed economies in the world.

Scanned by CamScanner

References :

1. Lakshmana, C.M.(2013). *Population, Development and Environment in India*, Chinese Journal of Population Resources.
2. Ahluwalia, V.K. (2013). *Environmental Studies*, The Energy and Resources Institute, New Delhi.
3. Verma, R.K. (2015). *Socio-economic Perspective*, Lucknow.
4. Narain, Sunita (2016). *Why I should be Tolerant*, Centre for Science and Environment, New Delhi.
5. Nagdeve, D.A. (2006). Population, Poverty and Environment in India. IIPS. Mumbai.
6. Tyagi, S., Garg, N., &Paaudel, R. (2014). Environmental degradation: Causes and Consequences. European Researcher.

Scanned by CamScanner

वन संरक्षण में जनजातीय समुदाय की सहभागिता

डा बिजेन्द्र प्रधान
विभागाध्यक्ष समाज कार्य विभाग
जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

कृष्ण कुमार तिवारी
शोध छात्र, समाज कार्य विभाग,
जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

शोध सारांश

वनों की सुरक्षा पर आधारित राज्य वन प्रबन्धन प्रणाली और अनेक कठोर उपायों के बावजूद न तो वनों का विनाश रुका है और न ही वनों पर निर्भर लोगों की हालत में कोई विशेष सुधार हुआ है। भारत की कुल जनसंख्या के आठ प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासियों के लिए वन ही जीवनयापन का मुख्य साधन हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सामाजिक वानिकी की धारणा आदिवासियों और निर्धन ग्रामीणों की ईंधन, चारा और अन्य लघु वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदिवासी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से भरण–पोषण वाली अर्थव्यवस्था है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का करीब 23 प्रतिशत भू–भाग वनाच्छादित है। आँकड़ों के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र 7 करोड़ 70 लाख 10 हजार हेक्टेयर है। विश्व के कुल वन क्षेत्र का दो प्रतिशत आज भारत में है जबकि विश्व जनसंख्या का 15 प्रतिशत यहाँ निवास करता है। वनों की भारत के आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। यह एक जाना–माना तथ्य है कि अधिकांश आदिवासी भारत के वन क्षेत्रों में सदियों से सभ्य समाज से दूर आपस में मिल–जुल कर पूरे विश्वास और सुरक्षा के वातावरण में रहते आए हैं। वनों के साथ उनका सम्बन्ध सहजीवी का है। लोकतांत्रिक, विकेन्द्रीकृत और निरन्तर विकास आज की आवश्यकता है। लेखक के विचार में इस दिशा में मानव–विज्ञानियों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो सकती है। गरीब एवं अविकसित आदिवासियों एवं वनवासियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की दिशा में यह अधिनियम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य शब्द : जनजाति, वन प्रबंध, वन संरक्षण, जनजाति सहभागिता।

प्रस्तावना

भारत में करीब तीन हजार की संख्या में विभिन्न जातियों और उप–जातियाँ निवास करती हैं। सभी का रहन–सहन,रीति–रिवाज एवं परम्पराएं अपनी विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाती हैं। कई आदिवासी जातियाँ जंगलों में अनादिकाल से निवास करती आ रही हैं। सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति जंगलों से होती है। इन जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक एवं कुटुम्ब व्यवस्था की अपनी अलग पहचान रही है। इन लोंगो में वन–संरक्षण करने की प्रबल वृत्ति है। अतः वन एवं वन्य–जीवों से उतना ही प्राप्त करते हैं, जिससे उनका जीवन सुलभता से चल सके और आने वाली पीढ़ी को भी वन–स्थल धरोहर के रुप में सौंप सकें। इन लोगों में वन संवर्धन, वन्य जीवों एवं पालतू पशुओं का संरक्षण करने की प्रवृत्ति परम्परागत है। इस कौशल दक्षता एवं प्रखरता के फ़लस्वरुप आदिवासियों ने पहाड़ों, घाटियों एवं प्राकृतिक वातावरण को संतुलित बनाए रखा। स्वतंत्रता से पूर्व समाज के विशिष्ट वर्ग एवं राजा–महाराजा भी इन आदिवासी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया करते थे। अंग्रेजी शासन काल में आदिवासियों की व्यवस्था को अस्त– व्यस्त कर दिया गया, क्योंकि यूरोपीय देशों में स्थापित उद्दोगों के लिए वन एवं वन्य–जीवों पर कहर ढा दिया। जब तक आदिवासी क्षेत्रों के प्राकृतिक वातावरण में सेंध नहीं लगी थी, तब तक हमारी आरण्य –संस्कृति बरकरार बनी रही. आधुनिक भौतिकवादी समाज ने भी कम कहर नहीं ढाया। इनकी उपस्थिति से उनके परम्परागत मूल्यों एवं सांस्कृतिक मूल्यों का जमकर ह्रास हुआ है। घटते वन क्षेत्र से आज पूरी दुनिया चिंतित है। कोई ओजोन परत में छेद होने से, तो कोई जंगल में मौजूद प्रचुर जैव– विविधता के संरक्षण के लिए चिंतित है। लेकिन हजारों साल से वनों पर आश्रित आदिवासियों की चिंता इससे बिल्कुल अलग है। आदिवासी तो

Scanned by CamScanner

सिर्फ अपने अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों की खुशहाल जिंदगी के लिए जंगल बचाना चाहते हैं। आधुनिक समाज की सोच ने जीवन को लाभ की वस्तु बना दिया है, लेकिन आदिवासियों के लिए जंगल एक पूरी जीवन शैली एवं आजीविका का साधन है। संरक्षण के नाम पर संयुक्त वन प्रबंधन जैसे आधारहीन कार्यक्रम से वनों का संरक्षण तो कम हो रहा है, उल्टे तनाव बढ़ता जा रहा है। वन संरक्षण में आदिवासियों का दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण है। जिस पर न तो अमल किया जा रहा है और न ही उसे मान्यता दी जा रही है। आदिवासियों की जीवनशैली, कार्यशैली में जंगल के दोहन का उनका तरीका अलग है। अपने नियम कायदों से वे पुरखों के जमाने से जंगल बचाते आ रहे हैं। आदिवासी अपने जरूरत के अनुसार जंगल से जितना लेते हैं, बदले में उसे कुछ न कुछ देते हैं। इनकी इसी भावना और जंगल के प्रति उनके आदर से आज वन बचे हुए हैं। जंगल का उपयोग करने में आदिवासियों के तरीके और नियम से महसूस होगा कि वन संरक्षण में उनकी सोच कितनी टिकाउ और महत्वपूर्ण है।

अध्ययन क्षेत्र की पृष्ठभूमि

आदिवासी आज भी प्रकृति पूजा में भी विश्वास रखते हैं। ये लोग पेड़ पौधे, सूरज और चांद की पूजा करते हैं। भारत में 427 अनुसूचित जनजातियों हैं। भारत में जनजातियों की वास्तविक स्थिति ठीक से बिना जांच उनके जनसांख्यिकीय वितरण में समझा जा सकता। सान्टाल्, साइकिल से यात्रा, गोंड, उरांव, मुंडा, हो, कार्व्वा और नागेस्या जैसे प्रमुख जनजातियों की सबसे मजबूत और वितरित कई लाख से अधिक राज्यों के मध्य और पूर्वी भारत के एक नंबर रहे हैं। तथापि, उनमें से करीब 36.6 प्रतिशत मॉडरेट जलवायु के क्षेत्रों में रहते हैं तथा 63.4 प्रतिशत पहाड़ी, तराई क्षेत्रों में, रेगिस्तान निवास, अर्ध–शुष्क क्षेत्रों और द्वीप में निवास करते हैं।

मध्यप्रदेश जैव विविधता एवं परम्परागत ज्ञान के क्षेत्र में अत्यन्त समृद्ध है। यह देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के बाहुल्य वाला प्रदेश है। इन विशेषताओं के चलते प्रदेश की समृद्ध जैव सम्पदा के साथ प्रदेश जनजातीय मूलक एवं देशज ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी है। प्रदेश के परम्परागत ज्ञान का विशेष रुप से स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रबंधन, पर्यावरण एवं वानकी इत्यादि क्षेत्रों में विशेष महत्व है। विश्व व्यापार संगठन की मुक्त व्यापार सम्बन्धी अनुशंसाएं हमारे देश पर भी लागू होती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है, कि न केवल हम अपने परम्परागत ज्ञान का संरक्षण करें बल्कि इस परम्परागत ज्ञान का प्रौधोगिकी विकास, नये रोजगारों के सृजन एवं औद्योगिकरण के क्षेत्र में उपयोग किया जावे। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि इस ज्ञान को विज्ञान की कसौटी पर कसते हुए इसका वैज्ञानिक सत्यापन करते हुए व्यवस्थित प्रलेखन किया जाय, इससे हमारे इस देशज ज्ञान को मान्यता मिलेगी एवं इससे प्राप्त लाभ से संबंधित व्यक्ति या समुदाय की भी सहभागिता होगी। इस योजना के क्रियान्वयन से मुख्य रुप से ग्रामीण एवं आदिवासी जन समुदाय लाभान्वित होगा ओर इसके साथ–साथ नए–नए उत्पाद एवं प्रक्रिया का भी विकास होगा इस ज्ञान के प्रलेखीकरण एवं सत्यापन से बायोपायरेसी (जैव ज्ञान की चोरी) को भी रोका जा सकेगा तथा अवांछित पेटेट पर देश विदेश में रोक लगाई जा सकेगी।

अध्ययन का उद्देश्य

1. जनजातीय समुदाय द्वारा वन्य सम्पदा की रक्षा के लिए किये जा रहे प्रयासों का अध्ययन करना।
2. वनों से जनजातीय आय के प्रमुख स्रोतों का अध्ययन करना।
3. वन प्रबंधन में ग्राम सभाओं की भूमिका का अवलोकन करना।

विधि तंत्र

प्रस्तुत अध्ययन वन संरक्षण में जनजातियों की सहभागिता पर आधारित है। अध्ययन के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन की प्रक्रिया का अवलोकन करके उनके यथा स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

शोध प्राविधि

प्रस्तुत शोध गुणात्मक सह विवरणात्मक प्राविधि का है। शोध अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के समंकों को संकलित करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक पद्धति का उपयोग किया गया है।

Scanned by CamScanner

समंकों का स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है। जिसका संकलन अवलोकन पद्धति, साक्षात्कार प्राविधि द्वारा प्राथमिक समंकों के संकलन के लिए किया गया है। द्वितीयक समंकों के संकलन के लिए जनजातीय विकास विभाग की रिपोर्ट, वन विभाग की रिपोर्ट, वन एवं जनजातियों से सम्बंधित बनाये गए विभिन्न कानून का अवलोकन किया गया है।

जनजातियो में वन संरक्षण की संस्कृति

जंगल आदिवासियों का महज आर्थिक आधार ही नहीं है, बल्कि उनकी बीमारियों का पूरा इलाज भी जंगली जड़ी–बूटियों से ही होता है। मंडला और डिंडौरी जिलों के 'बैगा आदिवासी' देश भर में जड़ी–बूटी व वनौषधियों के सबसे अच्छे विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनका जंगल से जड़ी–बूटी निकालने के तरीके की जानकारी के बाद यह ज्ञात होता है कि जंगल के प्रति उनके मन में कितना आदर व संरक्षण करने की भावना है। दुर्भाग्य से आधुनिक समाज ने इस सोच को दरकिनार कर दिया है। बैगा आदिवासी जचकी (प्रसव) के दौरान कल्ले की छाल का उपयोग करते हैं। छाल निकालने के पहले वृक्ष को दाल, चावल का न्यौता देते हैं। फिर धूप से उसकी पूजा करते हैं और वनस्पति महाराज (वृक्ष) के लिए मंत्रोच्चारण करते हैं। इसके बाद एक बार में कुल्हाड़ी के वार से जितनी छाल निकलती है, उतनी ही दवा के रूप में उपयोग करते हैं। जानकार बैगाओं के मुताबिक इस तरीके से काफी कम छाल निकलती है। वे मानते हैं कि अगर बिना किसी नियम के छाल निकाले जाएं, तो लोग मनमाने ढंग से छाल निकालने लगेंगे। इससे वन संपदा का नुकसान होगा। इसी तरह पेट–दर्द, उल्टी–दस्त व आंव के लिए महुआ का छाल और पंडरजोरी का छाल का इस्तेमाल होता है। महुए के पेड़ से एक बार कुल्हाड़ी मारने पर और पंडरजोरी से तीन बार कुल्हाड़ी मारने पर निकली छाल, दवा के लिए उपयोगी मानी जाती है।

छत्तीसगढ़ में सरना के जंगल आदिवासियों का तीर्थ स्थान है, जहां से एक पत्ता भी तोड़ना पाप माना जाता है। इसी तरह मध्यप्रदेश में बैतूल, छिंदवाड़ा जिलों में कोरकू, गोंड आदिवासी 'खंडेराज बाबा' (मेघनाद) की पूजा करते हैं। यह गांव के बीच में लकड़ी के तीन बड़े–बड़े खंभे होते हैं। यहां होली के बाद पूजा होती है और मेला लगता है। अक्सर हर 10–12 साल में इन खंभों की जगह नए खंभे लगाए जाते हैं। नए खंभे लाने के तरीके में भी जंगल के प्रति आदिवासियों का सम्मान, श्रद्धा और लेन–देन की सोच दिखाई देती है। खंडेराय बाबा के खंभे लाने के लिए जंगल में बाबा के वृक्ष की पूजा करते हैं। दाल, चावल, शराब चढ़ाकर मुर्गों की बलि दी जाती है। फिर बाबा का वृक्ष काटकर गांव में स्थापित किया जाता है। जाहिर है कि ऐसा नियम न होने पर खंडेराय बाबा के नाम पर तमाम वृक्ष काट दिए जाते। आदिवासी समुदाय व प्रक्रिया महज अपनी धार्मिक गतिविधियों के लिए ही नहीं करते, बल्कि उनकी सामाजिक, आर्थिक जरूरतों के लिए भी इनकी उपयोगिता है। वन आधारित जीवनशैली, आदिवासियों का परंपरागत ज्ञान, जरूरत भर उपयोग, संरक्षण के लिए आदिवासियों की सोच और कार्यशैली की अनदेखी कर, उस पर विदेशी सोच आधुनिक कहकर लादी जा रही है। इससे वन्यप्राणी, जैव विविधता का संरक्षण तो नहीं हो रहा, उल्टे आदिवासी और जंगल का सहअस्तित्व जरूर खत्म हो रहा है। इससे तनाव बढ़ रहा है।

ग्राम सभा की भूमिका

जनजातियों और पारम्परिक वनवासियों के वन अधिकारों को लागू करने के लिए संसद में दिसम्बर, 2005 को अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों को मान्यता) विधेयक 2005, जिसे फिर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) कानून, 2006 का नाम दिया गया, को पेश किया गया। इस कानून को 18 दिसम्बर, 2006 को संसद ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति ने 29 दिसम्बर को इस विधेयक को मंजूरी दी और यह कानून प्रभावी हो गया। यह कानून अपने–आप में महत्त्वपूर्ण है। इसमें भविष्य में भारत के वनों की देख–रेख के लिए उसके निहितार्थ, साथ ही औपनिवेशिक और उसके बाद के समय में आदिवासियों और वनवासियों के साथ हुए अन्याय को खत्म करने के प्रावधान किए गए हैं।

सरकार वन पारिस्थितिकी प्रणाली को मजबूत और व्यावहारिक बनाए रखने के लिए पारम्परिक वनवासियों के प्रति सजग है। सरकार ने इसे भी मान्यता दी है कि आदिवासियों के अधिकारों और पर्यावरण के एजेण्डा को मिलाने के बाद अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों की वन पारिस्थितिकी को बचाए रखने में अहम भूमिका है। वर्तमान कानून का एक अहम पहलू यह है कि देश के विभिन्न भागों के वन क्षेत्रों में या उसके आसपास रहने वाले आदिवासी समुदायों की भलाई को लेकर उनके कानूनी अधिकारों के लिए

Scanned by CamScanner

शुरू में इसे आदिवासी मामले मन्त्रालय ने आगे बढ़ाया। उल्लेखनीय है कि यह कानून वन अधिकारों की पहचान और इस बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा के प्रबन्धन में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत सबसे निचले स्तर की जनतान्त्रिक संस्था, ग्राम सभा की प्रमुख भूमिका प्रदान करता है। जिन राज्यों में पंचायतें नहीं हैं, वहाँ यह भूमिका पद, टोला तथा अन्य पारम्परिक ग्रामीण संस्थाएँ अथवा चुनी हुई ग्राम समितियाँ अदा करेंगी।

एनएसटीएफडीसी की आदिवासी वनवासी सशक्तिकरण योजना

भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के लिए (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 बनाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों को रहने और/अथवा खुद खेती करने या किसी अन्य परंपरागत गतिविधि के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जन हेतु वन भूमि धारण करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रस्तावित योजना का प्रयोजन अनुसूचित जनजातियों के वनवासियों को भूमि को उत्पाद उपयोग योग्य बनाने के प्रति जागरूक बनाना, उनमें स्किल,अप–स्किल/रि–स्पिल पैदा करना, एनएसटीएफडीसी का रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, बाजार में लिंकेज में सहायता करना, हैंड होल्डिंग समर्थन आदि उपलब्ध कराना हैं।

निष्कर्ष एवं व्याख्या

आदिवासी सदा से ही वनों में रहते आए हैं इसलिये आदिवासियों एवं वनों की बीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बंध है। ईंधन, पशुओं के लिये चारा, फल–फूल, जड़ी–बूटी, कृषि औजार, लकड़ी आदि के लिये वे वनों पर ही आश्रित हैं। वन से ही उन्हें भोजन प्राप्त होता है एवं उनकी जीविका चलती है। उनकी संस्कृति मूलतः अरण्य संस्कृति है। वे अनेक पेड़–पौधों एवं जीव–जन्तुओं की पूजा करते हैं। जंगलों में रहने और प्रकृति की पूजा करने के कारण इन लोगों में अंधविश्वास प्रभावित करता है। प्राचीन काल में आदिवासी लोग वनों के संसाधनों का स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग करते थे तथा अपने को वनों का मालिक समझते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में वनों का प्रबंध सरकार द्वारा देखा जाना प्रारंभ होने से उनके अधिकारों में कटौती हुई। 1894 की वन नीति में लोक हित में वनों पर राज्य सरकार का नियंत्रण प्रस्तुत किया गया जिससे आदिवासियों के अधिकारों में कटौती हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 1952 में नई राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। इससे जनजातियों पर निम्न प्रभाव पड़ा –

1. खेती के लिये वन भूमि देने सम्बंधी छूट वापस लिये जाने से आदिवासी प्रभावित हुए।
2. ग्रामवासियों की वन–आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ग्राम–वनों की स्थापना की गई।
3. निजी वनों को राज्य सरकार के अधीन लाया गया।
4. वनों में निःशुल्क चराई की सुविधा समाप्त की गई।
5. आदिवासियों को परिवर्ती खेती की पारम्परिक प्रथा से छुड़ाने का प्रयास किया गया।

गौण वन उपज

गौण वन उपज आदिवासियों को महत्त्वपूर्ण आहार एवं जीविका के साधन प्रदान करती है। पहले यह आदिवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति किया करती थी। बाद में कुछ गौण वन उपजों की कीमत बढ़ जाने से ये व्यापारिक महत्व की हो गईं, जिससे आदिवासियों को कुछ आय होने लगी। बाद में व्यापार का नियंत्रण वन विभाग को सौंपा गया। इससे व्यापारियों को एकमुश्त राशि के भुगतान पर लघु वनोपज को संग्रह करने अथवा संग्रहीत मात्रा पर रॉयल्टी देने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। व्यापारीगण सामान्यतः आदिवासियों से वनोपज संग्रह कार्य कराते हैं। इस प्रक्रिया में विसंगतियों को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कतिपय गौण वन उपज को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है। राष्ट्रीयकृत वन उपजों के खरीदने का एकाधिकार राज्य सरकारों में निहित है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इनकी कीमतें भी निर्धारित कर दी गई हैं।

सुझाव

वनों पर आधारित उद्योग

1. वन आधारित उद्योग को उस फैक्टरी और व्यक्तियों के बीच सीधा सम्बंध स्थापित करके ऋण, निरन्तर तकनीकी सलाह और अंतिम रूप से कटाई और परिवहन सेवाओं सहित निवेशों के साथ, जो व्यक्तियों की सहायता के लिये कच्चे माल पैदा कर सकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये कच्चा माल पैदा करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

2. गाँव अथवा कुटीर उद्योग स्तर के अलावा, किसी भी वन आधारित उपक्रम को भविष्य में तब तक अनुमति न दी जाए जब तक कि कच्चे माल की आश्वासित उपलबधता के सम्बंध में सावधानीपूर्वक जाँच पड़ताल से इन्हें स्पष्ट न किया गया हो। इस प्रयोजन के लिये किसी भी हालत में स्थानीय जनता की इंधन, चारे और इमारती लकड़ी की जरूरतों की अवहेलना नहीं जानी चाहिये।

3. वन आधारित उद्योग न केवल स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के रूप से राजगार प्रदान करें अपितु उनको पेड़ उगाने और कच्चा माल पैदा करने में भी शामिल करें।

4. प्राकृतिक वन, जीन पूल संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। अतः उद्योगों को इस प्रकार के वनों को पौधारोपण और किन्हीं अन्य गतिविधियों के लिये उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिये।

5. विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को उनके पास उपलब्ध सीमांत/अवक्रमित भूमि पर उद्योगों के लिये अपेक्षित काष्ठ प्रजातियाँ उगाने के लिये प्रोत्साहित किया जाए। इन्हें इंधन और चारा प्रजातियों के साथ सामुदायिक भूमि, जिनको चारागाह प्रयोजनों के लिये आवश्यकता नहीं हैं, तथा वन विभाग/निगमों द्वारा अवक्रमित वन जो प्राकृतिक पुनर्जनन के लिये निर्धारित नहीं हैं, में भी उगाया जाए।

वन विस्तार

वन संरक्षण के कार्यक्रम लोगों की स्वेच्छा, समर्थन एवं सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते। अतः यह आवश्यक है कि लोगों के मन में वनों, उसके विकास एवं संरक्षण के प्रति पर्याप्त रूचि उत्पन्न की जाए एवं वृक्षों, वन्यजीवों एवं प्रकृति के महत्व के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में शैक्षिक संस्थाओं का उपयोग किया जाना आवश्यक है। किसानों को शिक्षित करने हेतु अल्प अवधि के पाठ्यक्रम एवं कृषि विकास केंद्रों/प्रशिक्षण केंद्रों को विकसित किया जाना चाहिये। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जनसंचार माध्यम, श्रव्य–दृश्य उपकरणों और विस्तार मशीनरी की सहायता से अच्छे कार्यक्रम तैयार कर उसे प्रचारित करना आवश्यक है।

वानिकी शिक्षा

वानिकी को एक वैज्ञानिक विषय के तौर पर और पेशे के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिये। देश को मानवीय शक्ति में रखते हुये जो कृषि विश्वविद्यालय व संस्थान वानिकी शिक्षा के विकास के प्रति समर्पित हैं, उन्हें शैक्षणिक शिक्षा प्रदान करने और स्नातकोत्तर अनुसंधान तथा व्यावसायिक कौशल को प्रोत्साहित करने के लिये शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा बेहतर प्रबंध कौशलों के विकास के लिये विशिष्ट और अनुकूल पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

वानिकी अनुसंधान

पर्यावरणीय स्वास्थ्य, ऊर्जा और रोजगार के लिये वनों के महत्व की बढ़ती हुई मान्यता के साथ अनुसंधान आधार तथा कार्यवाही के लिये नई प्राथमिकताओं के उपयुक्त सुदृढ़ीकरण को आवश्यक मानते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान पर जोर दिया जाना चाहिये। अनुसंधान और विकास के लिये विस्तृत प्राथमिकता वाले क्षेत्र जिन पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

कार्मिक प्रबंध

1. व्यावसायिक वन अधिकारियों तथा वन वैज्ञानिकों के लिये कार्मिक प्रबंध में व्यावसायिक क्षमता और स्तर को उन्नत करना और योग्यता प्राप्त अभिप्रेरित कार्मिकों को आकर्षित करना तथा सेवा में रखना चाहिये।

2. वन संसाधनों के बारे में आँकड़ों की अपर्याप्तता एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे आत्मसंतोष की एक भ्रान्ति जनक धारणा पैदा होती है। देश में वैज्ञानिक आधारों पर वन संसाधनों के सर्वेक्षण को पूरा करने की जानकारी को अद्यतन बनाने को प्राथमिकता दी जाए। इस प्रयोजन के लिये वन प्रबंध के संगत पहलुओं के सम्बंध में विश्वसनीय आँकड़ों के अविधिक संग्रहण, मिलान और प्रकाशन में आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों में सुधार लाने की जरूरत है।

Scanned by CamScanner

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जनजातीय कार्य मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2017–https://tribal.nic.in/hindi/Statisticsh.aspx
2. पाण्डेय, गया (2007) भारतीय जनजातीय संस्कृति, नई दिल्ली : कंसैप्ट पब्लिशिंग कम्पनी।
3. तिवारी, डी. एन. (1989) वन आदिवासी एवं पर्यावरण, इलाहाबाद : शांति पब्लिकेंशंस।
4. शुक्ला, आर. एस. (2000) फॉरेस्ट्री फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, नई दिल्लीः व्हीलर्स पब्लिकेशंस।
5. अवध प्रसाद (2008) गाँवों में सामाजिक – आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन नई दिल्लीः हिन्द बुक डिपो वर्ष 2008
6. अय्यर, मणिशंकर (2016) योजना, सितम्बर 2016
7. डॉ. रमणिका गुप्ता, आदिवासी स्वर और नयी शताब्दी, पृ–10
8. रविकुमार गोंड (सपा) वर्तमान समय में आदिवासी समाज, पृ–118
9. रविकुमार गौंड एवं महेन्द्र प्रताप सिंह (संया.), समकालीन विमर्श मुद्दे और बहस में रविकुमार गौंड़ का लेख "लोक जागरण और समकालीन हिन्दी कविता में आदिवासी अस्मिता" पृ. 324–329
10. रमणिका गुप्ता, "हादसे" कहानी पृ.सं.–64 इल्विन ही. (1986): दि बैगा। ज्ञान पब्लिसिंग हाउस, दिल्लीः 359–407.
11. ब्रिजलाल (1988): इथनोबायोटेकनिकल स्टडीज आफ द बैगा ट्राइब आफ मध्यप्रदेश। बुले. आफ द ट्राइबल रिसर्च एण्ड डेवे. इन्स्टी. भोपाल 16 (1–2) 23–28.
12. पटेल, जी.पी. (1981) मध्यप्रदेश की बैगा जनजाति में परम्परागत चिकित्सा पद्धति का अध्ययन। बुले. आफ द ट्राइबल रिसर्च एण्ड डेवे. इन्स्टी. भोपाल 19 (1,2) 10–19
13. गर्ग अजय कुमार (2012) गैर–सरकारी संगठनों और स्वयं सेवी संस्थाओं के लिए ज्ञानकोष नवी पब्लिकेशन।
14. आगे आए लाभ उठाये (2016) जनसम्पर्क कार्यालय, भोपाल
15. अरूण जैन कमलेश खरे : जनजातीय भारत

❑❑❑

Scanned by CamScanner